जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन–सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

जयपुर डिस्कॉम के दो अभियन्ता निलम्बित

जयपुर, 03 फरवरी। जयपुर विद्युत वितरण निगम ने आज आदेश जारी कर निगम में कार्यरत दो सहायक अभियन्ताओं को अपने कार्य के प्रति उदासीनता व कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रहने के कारण तुरन्त प्रभाव से निलम्बित कर दिया है।

जयपुर विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री अनुराग भारद्वाज ने बताया कि सहायक अभियन्ता (पवस) बानसूर के पद पर कार्यरत श्री अवध बिहारी सोनी एवं सहायक अभियन्ता (पवस) डीग श्री बी.एस.फौजदार को कार्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता व अनुशासनहीनता बरतने के कारण निलम्बित किया गया है।

उन्होंने बताया कि श्री अवध बिहारी सोनी को कृषि विद्युत आपूर्ति के लिये निर्धारित ब्लॉक से अधिक विद्युत आपूर्ति करने एवं श्री बी.एस.फौजदार को गत वर्ष की अपेक्षा बिजली छीजत में वृद्धि, बकाया राशि में बढोतरी, वसूली में कमी होने एवं कृषि विद्युत आपूर्ति के लिये निर्धारित ब्लॉक से अधिक विद्युत आपूर्ति करने के कारण निलम्बित करने का निर्णय लिया गया है।

निलम्बन काल में इन दोनो का मुख्यालय संभागीय मुख्य अभियन्ता (पवस– जयपुर जोन), जयपुर के कार्यालय में रहेगा।

––––

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 188/2015